

Phone : 0154 - 3552644
Mobile : 94144-32838

SANJEEV GUPTA

ADVOCATE

126 VINOBA BASTI SRIGANGANAGAR - 335001

**SEARCH REPORT &
TITLE CERTIFICATE**
Non-Encumbrance Certificate

Owner: Ajay Kant Setia S/o Ramesh Chander R/o House No. B-5/1043, Gali No. 4, Jain Nagar, Abohar, Fazilka, Punjab

Property: Property Situated at Chak 1 Z Sq No 41 Killa No. 6/1,7/1,8/1 (0.0844 Hect. each), 9/1,10/1 (0.0843 Hect. each), 11/2 (0.0682 Hect.), 12/1,13/1,14/1,15/1, (0.069 Hect. each) Teh. & Distt. Sri Ganganagar Total 0.7651 Hect.

Dated: 25.07.2024

The Registrar,
Rajasthan Real Estate Regulatory Authority,
2nd and 3rd Floor, RSIC Building, Udyog Bhavan,
Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur.

Sub: Title Legal Opinion on Investigation of Title (Search Report) certifying Non-Encumbrances of the Chak 1 Z Sq No 41 Killa No. 6/1,7/1,8/1 (0.0844 Hect. each), 9/1,10/1 (0.0843 Hect. each), 11/2 (0.0682 Hect.), 12/1,13/1,14/1,15/1, (0.069 Hect. each) Teh. & Distt. Sri Ganganagar Total 0.7651 Hect. Belonging to Ajay Kant Setia S/o Ramesh Chander R/o House No. B-5/1043, Gali No. 4, Jain Nagar, Abohar, Fazilka, Punjab

Dear Sir/Madam,

Project: Spring Field Phase-3

I, Sanjeev Gupta Advocate has investigated the title of Ajay Kant Setia S/o Ramesh Chander R/o House No. B-5/1043, Gali No. 4, Jain Nagar, Abohar, Fazilka, Punjab (name of the owner) to the immovable property Chak 1 Z Sq No 41 Killa No. 6/1,7/1,8/1 (0.0844 Hect. each), 9/1,10/1 (0.0843 Hect. each), 11/2 (0.0682 Hect.), 12/1,13/1,14/1,15/1, (0.069 Hect. each) Teh. & Distt. Sri Ganganagar Total 0.7651 Hect. on the basis of the title deed/s and other documents (more particularly described in Schedule I) and searches carried out by me in Office of Sub-Registrar, Sri Ganganagar. My report on the title is as under:

PART I DESCRIPTION OF THE PROPERTY:

Chak 1 Z Sq No 41 Killa No. 6/1,7/1,8/1 (0.0844 Hect. each), 9/1,10/1 (0.0843 Hect. each), 11/2 (0.0682 Hect.), 12/1,13/1,14/1,15/1, (0.069 Hect. each) Teh. & Distt. Sri Ganganagar Total 0.7651 Hect. (Hereinafter referred as the Said Property)

PART II HISTORY OF TITLE OF PROPERTY - (HISTORY OF TITLE)

UIT passed an order no. LU2012/SGN/2023-24/100920 dated 15.02.2024 under Sec 90-क in favour of Ajay Kant Setia S/o Ramesh Chander R/o House No. B-5/1043, Gali No. 4, Jain Nagar, Abohar, Fazilka, Punjab. (Chak 1 Z Sq No 41 Killa No. 6/1,7/1,8/1 (0.0844 Hect. each), 9/1,10/1 (0.0843 Hect. each), 11/2 (0.0682 Hect.), 12/1,13/1,14/1,15/1, (0.069 Hect. each) Teh. & Distt. Sri Ganganagar Total 0.7651 Hect.)

As per latest Jamabandi Samvat 2071-2074 Chak 1 Z Khata No 152 owner of this property Chak 1 Z Sq No 41 Killa No. 6/1,7/1,8/1 (0.0844 Hect. each), 9/1,10/1 (0.0843 Hect. each), 11/2 (0.0682 Hect.), 12/1,13/1,14/1,15/1, (0.069 Hect. each) Teh. & Distt. Sri Ganganagar Total 0.7651 Hect. In the name of UIT Sri Ganganagar after order of Sec 90-क

Since then Ajay Kant Setia S/o Ramesh Chander R/o House No. B-5/1043, Gali No. 4, Jain Nagar, Abohar, Fazilka, Punjab is continuing to be the owner of said property

PART III OTHER PROVISIONS:

- 3.1. Whether property to be given as security is subject to any minor's claim/share?
NO
- 3.2 Mutation of the name of the owner in revenue records :
YES

SANJIV GUPTA
Advocate
126-Vinoba Basti, Sri Ganganagar
MOBILE-94144-32838

- 3.3 Whether the user land has been converted into Non-Agricultural for Residential use by the order of the competent Authority?
YES
- 3.4 Whether up to date tax/Land Revenue has been paid on the property.
YES
- 3.5 Whether Search Report is obtained and submitted?
Search Receipt Details
Search Receipt No. GRN 92399803
Name of the Advocate Sanjeev Gupta
Search Receipt Date 25.07.2024

PART IV: CERTIFICATE:

I further certify that **Ajay Kant Setia S/o Ramesh Chander R/o House No. B-5/1043, Gali No. 4, Jain Nagar, Abohar, Fazilka, Punjab** has a valid, clear, marketable and free title over the subject property.

Conclusion

Keeping in view of the above it is to be certify that **Ajay Kant Setia S/o Ramesh Chander R/o House No. B-5/1043, Gali No. 4, Jain Nagar, Abohar, Fazilka, Punjab** is the full owner of **Chak 1 Z Sq No 41 Killa No. 6/1,7/1,8/1 (0.0844 Hect. each), 9/1,10/1 (0.0843 Hect. each), 11/2 (0.0682 Hect.), 12/1,13/1,14/1,15/1, (0.069 Hect. each) Teh. & Distt. Sri Ganganagar** Total 0.7651 Hect.

REMARKS:

1. The report does not comment on: The technical regularity (adherence to by laws/approvals) or otherwise of the said property, whether the said property is a subject matter of any pending legislative, authenticity of the documents/examined. All the above said is outside the scope of the working reference to this report;

Signature

(Sanjeev Gupta)
Advocate

SANJIV GUPTA
Advocate
126-Vinoba Basti, Sri Ganganagar
MOBILE-94144-32838

Schedule-I

ANNEXURE-‘A’

1. Photo Copy of order no. LU2012/SGN/2023-24/100920 dated 15.02.2024 under Sec 90-ਥ passed by UIT Sri Ganganagar in favour of Ajay Kant Setia S/o Ramesh Chander R/o House No. B-5/1043, Gali No. 4, Jain Nagar, Abohar, Fazilka, Punjab. (Chak 1 Z Sq No 41 Killa No. 6/1,7/1,8/1 (0.0844 Hect. each), 9/1,10/1 (0.0843 Hect. each), 11/2 (0.0682 Hect.), 12/1,13/1,14/1,15/1, (0.069 Hect. each) Teh. & Distt. Sri Ganganagar Total 0.7651 Hect.)
2. Photo Copy of Jamabandi Samvat 2071-2074 Chak 1 Z Khata No 152 owner of this property Chak 1 Z Sq No 41 Killa No. 6/1,7/1,8/1 (0.0844 Hect. each), 9/1,10/1 (0.0843 Hect. each), 11/2 (0.0682 Hect.), 12/1,13/1,14/1,15/1, (0.069 Hect. each) Teh. & Distt. Sri Ganganagar Total 0.7651 Hect. In the name of UIT Sri Ganganagar after order of Sec 90-ਥ
3. Photo Copy of Proposed Lay Out Plan.

SANJIV GUPTA
Advocate
126-Vinod Basti, Sri Ganganagar
MOBILE-94144-32838

e-Challan

Registration and Stamps department
Government of Rajasthan

GRN: 0092399803



Payment Date: 25/07/2024 09:18:56

Office Name: SUB REGISTRAR REGISTRATION & STAMPS, SRI GANGANAGAR
Location: GANGANAGAR
Period: 01/04/2024-To-31/03/2025

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-03-800-01-00-अन्य प्रप्तियां	650.00
	Commission(-):	0.00
	Total/NetAmount:	650.00

Six Hundred Fifty Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: sanjeev Gupta
Pan No.(If Applicable):
Address:SRI GANGANAGAR

Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :
City(Pincode): SRI GANGANAGAR(335001)
Remarks:Inspection Search

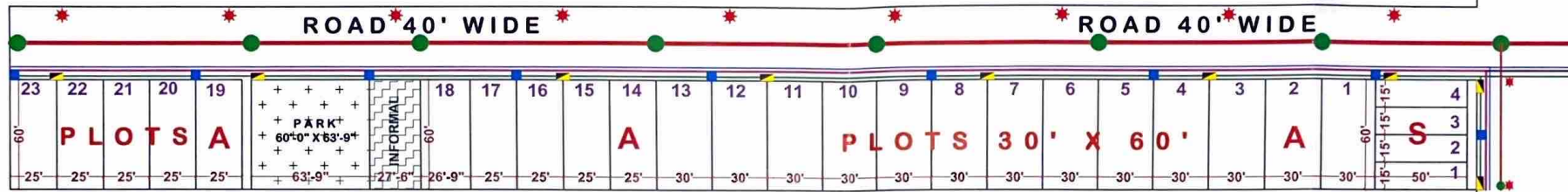
Payment Details:

Bank: State Bank Of India
Date: 25/07/2024 09:18:56

Challan No. - 3880428
Bank CIN No: SBIN9239980325072024
Refrence No: IK0CVZPRZ4

Computer generated copy on : 29/07/2024

Courtsy : <https://Egras.rajasthan.gov.in>



SQUARE NO. 41 CHAK 1 Z

LAYOUT - PLAN

SEWAR LINE, WATER HARVESTING,
WATER SUPPLY LINE, & ELECTRIC LINE,
LAYOUT PLAN



REFERENCE :-

1. SEWAR LINE :-
2. SEWAR CHAMBER :-
3. WATER SUPPLY LINE 2.5" :-
4. WATER SUPPLY MAIN LINE 4" :-
5. WATER HARVESTING LINE :-
6. WATER HARVESTING CHAMBER :-
7. L.T. LINE 120MMX4C :-
8. STREET LIGHT 16MMX4C :-
9. DISTRIBUTION BOARD :-

LAYOUT PLAN OF KILLA NO. 6 TO 15 (EACH PART) IN SQUARE
NO. 41 CHAK 1 Z AT Teh. & Dist. SRI GANGANAGAR (RAJ.)





राजस्थान सरकार कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001



क्रमांक :- नियोजन/2024/

दिनांक :-

प्रमाण-पत्र

खातेदार/विकासकर्ता श्री अजय कान्त सेतिया पुत्र श्री रमेश चन्द निवासी मकान नं. बी-5/1043 गली नं. 04, जैन नगर, अबोहर, फाजिल्का (पंजाब) द्वारा आवेदित भूमि वाके चक 1 जैड मुख्या नं. 41 के किला नं. 6/1, 7/1 व 8/1 प्रत्येक में 0.0844 है., किला नं. 9/1 व 10/1 प्रत्येक में 0.0843 है., किला नं. 11/2 में 0.0682 है., किला नं. 12/1, 13/1, 14/1, 15/1 प्रत्येक में 0.069 है. यथाकुल 0.7651 हेक्टेयर भूमि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क की कार्यवाही न्यास आदेश संख्या LU2012/SGN/2023-24/100920 दिनांक 15.11.2023 द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ आवेदित भूमि के दिनांक 15.02.2024 द्वारा 90-ए आदेश है। उक्त भूमि का ले आउट प्लान विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.8(ग)(नियम/डी-43/2021/68664 जयपुर दिनांक 27.09.2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना न्यास आदेश सं. टीपी/2021/1635 दिनांक 30.09.2021 के क्रम में न्यास स्तर पर गठित एम्पावर्ड समिति की बैठक दिनांक 27.02.2024 के एजेण्डा संख्या 26 द्वारा स्वीकृत है। खातेदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार उक्त आवासीय योजना का नाम "सिंग फील्ड फेस-3" रखा गया है।

नगरीय विकास विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना एवं परिपत्रानुसार विकासकर्ता की आवेदित भूमि (जारी माँग पत्र क्रमांक नियोजन/2024/158 दिनांक 29.04.2024 में अंकित राशि) के बाह्य विकास शुल्क की राशि 7,65,100/- रुपये में से 20 प्रतिशत की छूट की राशि 1,53,020/- रुपये कम करते हुए शेष राशि 6,12,080/- रुपये, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधानानुसार डीएलसी दर से राशि 4,11,956/- रुपये एवं बीएसयूपी फण्ड राशि 1,00,233/- रुपये यथाकुल राशि 11,24,269/- रुपये जरिये रसीद संख्या 21-1711 दिनांक 14.05.2024 द्वारा न्यास कोष में जमा है।

खातेदारान द्वारा आन्तरिक विकास के समस्त कार्य नियत समयावधि में कार्य पूरा न होने की दशा में रहन शुद्धा भूखण्ड, (भूखण्ड संख्या A-20 to A-23 Each-Size 25'-0" X 60'-0" Feet, Informal Size 27'-6" X 60'-0" Feet, Total 04 Resl. Plot & 01 Informal) न्यास द्वारा विक्रय करके आन्तरिक विकास कार्य करवाने बाबत कॉलोनाईजर्स/खातेदार ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त तथ्यों व कॉलोनाईजर्स/खातेदार श्री अजय कान्त सेतिया पुत्र श्री रमेश चन्द निवासी मकान नं. बी-5/1043 गली नं. 04, जैन नगर, अबोहर, फाजिल्का (पंजाब) द्वारा प्रस्तुत अण्डरटैकिंग और मौका निरीक्षण समिति की अनुशंशा के आधार पर निम्न शर्तों के साथ प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

- स्वीकृत ले आउट प्लान के अनुसार समस्त आन्तरिक विकास कार्य बिजली, पानी, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, नाली, पार्क (लाइट, झुले, बैच, घास, पेड़-पौधे आदि), होटिकल्चर आदि का निर्माण स्वयं कॉलोनाईजर्स/खातेदार को स्वयं के खर्च पर नियत समयावधि में पूर्ण करवाने होंगे। न्यास उपरोक्त किसी भी प्रकार के विकास कार्य एवं उक्त हेतु व्यय करने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।
- ऑवर हेड वाटर टैंक, वर्षा जल नालिया एवं सीवरेज का कार्य स्वयं खातेदार/कॉलोनाईजर्स के स्तर पर करवाया जावेगा तथा इन कार्यों के विरुद्ध न्यास से किसी प्रकार की कोई मांग इत्यादि नहीं की जावेगी। स्वीकृत ले आउट प्लान अनुसार आन्तरिक विकास कार्य एवं उपरोक्त वर्णित कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही उक्त रहन रखे गये भूखण्डों को रहन मुक्त किया जावेगा।
- योजना में नियत समयावधि में आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की दशा में न्यास द्वारा रहनशुद्धा भूखण्डों को विक्रय किया जाकर आन्तरिक विकास कार्य करवाये जा सकेंगे। इस बाबत खातेदार/कॉलोनाईजर माननीय न्यायालय एवं अन्य विभागों में कोई वाद विवाद या क्लेम हेतु कोई दावा/उजर प्रस्तुत नहीं करेंगे।
- स्वीकृत ले आउट प्लान अनुसार भूखण्डों का क्षेत्रफल के वर्गीकरण के आधार पर सैट बैक्स, ऊचाई एवं आच्छादित क्षेत्रफल भवन विनियम 2020 की "तालिका" अनुसार देय होगा। नोट :- योजना के कॉर्नर के भूखण्डों पर नियमानुसार गोलाई (रेडियस) छोड़कर ही निर्माण किया जावेगा।
- आवेदित भूमि को पूर्व दिशा से मास्टर प्लान की प्रस्तावित 120 फीट चौड़ी सड़क जो मौके पर 40 फीट से अधिक चौड़ाई में संचालित है, से पहुँच मार्ग प्रस्तावित है। मास्टर प्लान की 120 सड़क मार्गाधिकार करवायी जा चुकी है। आवेदित भूमि को प्रस्तावित पहुँच मार्ग हेतु सड़क मार्गाधिकार में आने वाली भूमि का विकास/निर्माण विकासकर्ता/आवेदक द्वारा स्वयं के स्तर पर किया जावेगा। इस बाबत न्यास से किसी प्रकार के कोई मुआवजे आदि की माँग नहीं करेंगे इस हेतु आप बाध्य रहेंगे।
- आवेदित भूमि में से यदि कोई खाला गुजर रहा हो तो उक्त खाले के संबंध में नियमानुसार सुरक्षात्मक भवन विनियम-2020 के निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप भूमि खुली रखी जाते हुए अथवा खाले के उपर उत्तरदायित्व/सुरक्षात्मक उपाय विकासकर्ता/आवेदक द्वारा स्वयं के स्तर पर अपनाये जावेंगे।
- आवेदित भूमि में से यदि कोई विद्युत लाईन गुजर रही हो तो नियमानुसार सुरक्षात्मक दुरी उपरांत ही भूखण्डों का सृजन मान्य होगा एवं नियमानुसार राज्य सरकार के आदेशों तथा मॉडल भवन विनियम-2020 के निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप भूमि खुली रखी जाते हुए अथवा विद्युत लाईन का विस्थापन कर सुरक्षात्मक उपाय आवेदक/विकासकर्ता द्वारा स्वयं के स्तर पर अपनाये जावेंगे। जिसकी समस्त जिम्मेवारी आवेदक/विकासकर्ता स्वयं की होगी।
- योजना में स्वीकृत इन्फॉर्मल सैक्टर के भूखण्ड माप Informal Size 27'-6" X 60'-0" Feet (1650 वर्गफीट) का निष्पादन टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों के संबंध में स्पष्टीकरण आदेश दिनांक



राजस्थान सरकार

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

15

- 13.05.2020/विभागीय परिपत्र दिनांक 10.08.2020 के अनुसार/दिनांक 20.02.2023 एवं समय-समय पर जारी परिपत्र/आदेश अनुसार किया जाना होगा।
9. आवेदित योजना में प्रस्तावित भूखण्डों पर निर्माण किये जाने से पूर्व राक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
10. अनुमोदित योजना मानचित्र में सड़क हेतु आरक्षित भूमि नियमानुसार न्यास को समर्पित करते हैं। आवेदित भूमि में स्वीकृत सड़क हेतु आरक्षित भूखण्ड का उपयोग जन सुविधाओं (पब्लिक यूटिलिटी) हेतु किया जाएगा एवं उक्त भूखण्ड का निष्पादन राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार न्यास स्तर पर जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा।
11. राजस्थान टाउनशिप पोलिसी-2010 अनुसार नियत अवधि में उपर्युक्तानुसार समस्त विकास कार्य पूर्ण होने तक कमेटी की अनुशंसा एवं कॉलोनाईजर्स/खातेदार द्वारा प्रस्तुत अण्डर टैकिंग के अनुसार (भूखण्ड संख्या A-20 to A-23 Each Size 25'-0" X 60'-0" Feet, Informal Size 27'-6" X 60'-0" Feet, Total 04 Resi. Plot & 01 Informal) नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के पास बन्धक रहन रहेंगे। कॉलोनाईजर्स/खातेदार द्वारा किये गये विकास कार्यों के प्रमाणीकरण अनुसार रहनशुद्धा भूखण्ड को रहन मुक्त किया जावेगा।
12. योजना की समस्त सड़कें न्यास में निहित होगा एवं योजना में ठेस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा एवं योजना की आन्तरिक सड़कों के विकास में ऊर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं एलईडी लाईट का उपयोग किया जावेगा।
13. योजना के आन्तरिक विकास कार्य, यथा सड़कें, नालिया, विद्युत व्यवस्था, स्ट्रीट लाईट, सीवरेज एवं पेयजल आदि के समस्त कार्य टाउनशिप पोलिसी 2010 के प्रावधानानुसार निर्धारित अवधि 24 माह में किये जाने अनिवार्य होंगे। निर्धारित अवधि में उपरोक्त विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में 10 प्रतिशत शास्ति के (Total Prevailing Conversion Charges) साथ अधिकतम अवधि 2 वर्ष तक नियमानुसार न्यास स्तर से बढ़ाई जा सकेगी।
14. उपरोक्त योजना का राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेशन एण्ड डवलपमेंट रूल्स 2017 के तहत पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य होगा।
15. विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के प्रावधान 7.02 अनुसार योजना में टेलिकोम इन्फ्रस्ट्रक्चर टावरस हेतु स्थल आरक्षित-रखते हुए निष्पादन विभागीय अधिसूचना/आदेशानुसार किया जाना होगा।
16. टाउनशिप पोलिसी-2010 एवं इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/आदेश/परिपत्र/दिशा-निर्देशों के समस्त प्रावधानों की पालना करनी होगी तथा नियमानुसार आवश्यक सभी शुल्क न्यास कोष में जमा करवाने होंगे।
17. योजना क्षेत्र में विभागीय आदेश क्रमांक प.3(17)नवि/3/2009 पार्ट-IV जयपुर दिनांक 27.12.2022 द्वारा टाउनशिप पोलिसी 2010 के अन्तर्गत City Gas Distribution Station Pressure regulating station/District regulating station स्थापित करने हेतु नवीन प्रावधान लागू होंगे।
18. राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ. 4(1)आरजे/रेरा/2017/पार्ट/467 दिनांक 14.03.2023 विकासकर्ता/खातेदार द्वारा सुनिश्चितता की जानी होगी।

सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

उपरोक्त सभी शर्तें मेरे/हमारे द्वारा पढ़ व समझ ली गई है, जिनकी पूर्ण जानकारी मेरी/हमारी निजी जानकारी अनुसार है एवं सत्य है। उपरोक्त सभी शर्तें मुझे/हमें मंजूर एवं मान्य है तथा उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों की पालना मेरे/हमारे स्वयं के स्तर पर की जावेगी।

Handwritten Signature
सहमती हस्ताक्षर
(खातेदार/कॉलोनाईजर्स)

क्रमांक :- नियोजन/2024/546
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 20/06/2024

1. खातेदार/विकासकर्ता श्री अजय कान्त सेतिया पुत्र श्री रमेश चन्द्र निवासी मकान नं. बी-5/1043 गली नं. 04, जैन नगर, अबोहर, फाजिल्का (पंजाब)।
2. नियमन शाखा न्यास, श्रीगंगानगर को उक्त रहन रखे गये भूखण्डों का रूपान्तरण नहीं करने एवं रहन रखे गये भूखण्डों तथा उक्त योजना में नियमन किये गये भूखण्डों का अलग से रजिस्टर सम्पूर्ण विवरण सहित संधारित करने बाबत।

Handwritten Signature
सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर



नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर
राजस्थान सरकार



क्रमांक :- LU2012/SGN/2023-24/100920

दिनांक :-

विषय :- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

मागले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :

श्री अजय कान्त सेतिया पुत्र श्री रमेश चन्द्र निवासी मकान नं. बी-5/1043 गली नं. 04, जैन नगर, अबोहर, फाजिल्का, पंजाब।

- ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./ भूमि का विवरण	क्षेफलफल (हैक्टेयर)
1	चक 1 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर	श्री अजय कान्त सेतिया पुत्र श्री रमेश चन्द्र	चक 1 जैड मुरब्बा नं. 41 के किला नं. 6/1, 7/1 व 8/1 प्रत्येक में 0.0844 हैक्टे. किला नं. 9/1 व 10/1 प्रत्येक में 0.0843 हैक्टे. किला नं. 11/2 में 0.0682 हैक्टे. किला नं. 12/1, 13/1 व 14/1, 15/1 प्रत्येक में 0.069 हैक्टे. यथाकुल 0.7651 हैक्टेयर	कुल 0.7651 हैक्टेयर

- आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की-मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा, और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
 - यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकरण की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम का अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 को तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
 - अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जावेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।
 - आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गई है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगति विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जावेगा।
 - इन विनियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जावेगी।
- यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 15/12/24 को पारित किया गया है।

प्राधिकृत अधिकारी
नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर
दिनांक :-

क्रमांक :- LU2012/SGN/2023-24/100920

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी-

- तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है कि आवेदित भूमि को नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के नाम नामान्तरण/इन्तकाल 7 दिवस के अन्तर्गत दर्ज कर ऑन लाईन अपलोड कर अनुपालना सुनिश्चित करें।
- श्री अजय कान्त सेतिया पुत्र श्री रमेश चन्द्र निवासी मकान नं. बी-5/1043 गली नं. 04, जैन नगर, अबोहर, फाजिल्का, पंजाब (खातेदार)

प्राधिकृत अधिकारी

नामांतरकरण प्रपत्र (प-21)

ग्राम :1 जैड़	पटवार मण्डल :4 जैड़	भू.अ.नि.वृत्त:चक महाराजका	तहसील:गंगानगर	जिला:गंगानगर
नामांतरकरण का प्रकार : न्याया. आदेश	प्रविष्टि का क्रम संख्या एवं दिनांक :802 10/06/2024		संवत तथा ढाल बांछ की क्रम संख्या:2071-2074	
रजिस्ट्रीकरण/बंधक संख्या एवं दिनांक :			नामांतरकरण शुल्क :20 शास्ति : 0	

सही किये जाने के लिए प्रतिस्थापित वर्तमान जमाबंदी (खतौनी) में की प्रविष्टि						जमाबंदी में प्रतिस्थापित किये जाने के लिए प्रस्तावित नयी प्रविष्टि					
खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व लगान	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खाता संख्या	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व लगान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	प. 0 मु. 41 कि. 6/1 0.0844 कि. 7/1 0.0844 कि. 8/1 0.0844 कि. 9/1 0.0843 कि. 10/1 0.0834 कि. 11/2 0.0682 कि. 12/1 0.0690 कि. 13/1 0.0690 कि. 14/1 0.0690 कि. 15/1 0.0690 कि. 24/1 0.2362 कि. 25/1 0.2362	0.0844 0.0844 0.0844 0.0843 0.0834 0.0682 0.0690 0.0690 0.0690 0.0690 0.2362 0.2362	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	0.80 0.80 0.80 0.80 0.79 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 2.24 2.24	1.) अजयकांत सेतिया पुत्र रमेशचन्द्र हिस्सा- पूर्ण जाति- अरोड़ा निवासी 1 जैड़ खातेदार	152	1.) नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर हिस्सा- पूर्ण विभागीय	प. 0 मु. 41 कि. 6/1 0.0844 कि. 7/1 0.0844 कि. 8/1 0.0844 कि. 9/1 0.0843 कि. 10/1 0.0834 कि. 11/2 0.0682 कि. 12/1 0.0690 कि. 13/1 0.0690 कि. 14/1 0.0690 कि. 15/1 0.0690	0.0844 0.0844 0.0844 0.0843 0.0834 0.0682 0.0690 0.0690 0.0690 0.0690	गै. मु. आवासीय गै. मु. आवासीय गै. मु. आवासीय गै. मु. आवासीय गै. मु. आवासीय गै. मु. आवासीय गै. मु. आवासीय गै. मु. आवासीय गै. मु. आवासीय गै. मु. आवासीय	
खाता : 153	कुल प. 1	कुल मु. 1	कुल कि. 12	कुल क्षेत्रफल : 1.2375	कुल काश्तकार : 1	--वदस्तूर खसरा--					
खाता : 152	कुल प. 1	कुल मु. 3	कुल कि. 44	कुल क्षेत्रफल : 5.6310	कुल काश्तकार : 1						

खातों का विवरण:-

खाता : 153	कुल प. 1	कुल मु. 1	कुल कि. 12	कुल क्षेत्रफल : 1.2375	कुल काश्तकार : 1	खाता : 152	कुल काश्तकार : 1	कुल प. 1	कुल मु. 3	कुल कि. 44	कुल क्षेत्रफल : 5.6310
खाता : 153	कुल प. 1	कुल मु. 1	कुल कि. 2	कुल क्षेत्रफल : 0.4724	कुल काश्तकार : 1	खाता : 153	कुल काश्तकार : 1	कुल प. 1	कुल मु. 1	कुल कि. 2	कुल क्षेत्रफल : 0.4724



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 169 एच)
पृष्ठ संख्या :- 1 of 3

ग्राम का नाम :- 1 जैड

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2071 - 2074

पटवार हल्का :- 4 जैड

भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार

जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी

भू.अभि.नि.क्षेत्र :- चक महाराजका

क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर

तहसील :- गंगानगर

खाता संख्या नया :- 152

जिला :- गंगानगर

खाता संख्या पुराना :- 46

काश्तकार का नाम :-

1. नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर हिस्सा- पूर्ण विभागीय,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा सिंचाई संदत्त लगान के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
प.न. 0				
मु.न. 41				
कि.न. 1/1	0.2250 गै. मु. आवासीय 0.2250		स्वीकृत नामांतरकरण : 752 25/04/2022न्याया. आदेश	
2/2	0.2277 गै. मु. आवासीय 0.2277		स्वीकृत नामांतरकरण : 774 16/01/2023न्याया. आदेश	
3/1	0.2277 गै. मु. आवासीय 0.2277		स्वीकृत नामांतरकरण : 796 15/05/2024न्याया. आदेश	
4/2	0.2277 गै. मु. आवासीय 0.2277		स्वीकृत नामांतरकरण : 800 17/05/2024न्याया. आदेश	
5/1	0.2277 गै. मु. आवासीय 0.2277		स्वीकृत नामांतरकरण : 802 24/06/2024न्याया. आदेश	
6/1	0.0844 गै. मु. आवासीय 0.0844			
6/2	0.1686 गै. मु. आवासीय 0.1686			
7/1	0.0844 गै. मु. आवासीय 0.0844			
7/2	0.1686 गै. मु. आवासीय 0.1686			
8/1	0.0844 गै. मु. आवासीय 0.0844			
8/2	0.1686 गै. मु. आवासीय 0.1686			
9/1	0.0843 गै. मु. आवासीय 0.0843			
9/2	0.1687 गै. मु. आवासीय 0.1687			
10/1	0.0834 गै. मु. आवासीय 0.0834			
10/2	0.1666 गै. मु. आवासीय 0.1666			
11/2	0.0682 गै. मु. आवासीय 0.0682			
12/1	0.0690 गै. मु. आवासीय 0.0690			
13/1	0.0690 गै. मु. आवासीय 0.0690			
14/1	0.0690 गै. मु. आवासीय 0.0690			
15/1	0.0690 गै. मु. आवासीय 0.0690			

कुल किता : 20

भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल

गै. मु. आवासीय 2.7420 0.00

यू.एस.एन - 2855267821528022

<https://apnakhata.rajasthan.gov.in/qx.aspx?usn=2855267821528022>

ई-हस्ताक्षर की सूचना :-

हस्ताक्षरकर्ता - NAND LAL

पद - तहसीलदार

हस्ताक्षर दिनांक व समय - 24/Jun/2024 02:46:00 PM



NIC



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 169 एच)
पृष्ठ संख्या :- 2 of 3

ग्राम का नाम :- 1 जैड़

पटवार हल्का :- 4 जैड़

भूअभि.नि.क्षेत्र :- चक महाराजका

तहसील :- गंगानगर

जिला :- गंगानगर

मु.न. 42

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2071 - 2074

भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार

क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर

खाता संख्या नया :- 152

खाता संख्या पुराना :- 46

जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी

कि.न. 1	0.1370	गै. मु. आवासीय	0.1370
2/1	0.0090	गै. मु. आवासीय	0.0090
9/2	0.1150	गै. मु. आवासीय	0.1150
10	0.1640	गै. मु. आवासीय	0.1640
11	0.1640	गै. मु. आवासीय	0.1640
12/1	0.1150	गै. मु. आवासीय	0.1150

कुल किता : 6	भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल
	गै. मु. आवासीय 0.6950 0.00
	गै. मु. आवासीय 0.0090 0.00

मु.न. 59

कि.न. 1/3	0.0700	गै. मु. आवासीय	0.0700
1/5	0.0820	गै. मु. आवासीय	0.0820
2/1	0.0120	गै. मु. आवासीय	0.0120
2/5	0.1265	गै. मु. आवासीय	0.1265
2/7	0.0895	गै. मु. आवासीय	0.0895
3/3	0.1015	गै. मु. आवासीय	0.1015
3/5	0.1265	गै. मु. आवासीय	0.1265
4/3	0.1265	गै. मु. आवासीय	0.1265
4/4	0.1015	गै. मु. आवासीय	0.1015
5/3	0.1835	गै. मु. आवासीय	0.1835
5/5	0.0445	गै. मु. आवासीय	0.0445
6	0.2530	गै. मु. आवासीय	0.2530
21/2	0.1240	गै. मु. आवासीय	0.1240
22/2	0.1860	गै. मु. आवासीय	0.1860
23/2	0.1860	गै. मु. आवासीय	0.1860
24/2	0.1860	गै. मु. आवासीय	0.1860
25/3	0.0560	गै. मु. आवासीय	0.0560
25/4	0.1300	गै. मु. आवासीय	0.1300

यू.एस.एन - 2855267821528022

<https://apnakhata.rajasthan.gov.in/qv.aspx?usn=2855267821528022>

ई-हस्ताक्षर की सूचना :-

हस्ताक्षरकर्ता - NAND LAL

पद - तहसीलदार

हस्ताक्षर दिनांक व समय - 24/Jun/2024 02:46:00 PM



NIC



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 169 एच)
पृष्ठ संख्या :- 3 of 3

ग्राम का नाम :- 1 जैड़

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2071 - 2074

पटवार हल्का :- 4 जैड़

भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार

जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी

भू.अभि.नि.क्षेत्र :- चक महाराजका

क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर

तहसील :- गंगानगर

खाता संख्या नया :- 152

जिला :- गंगानगर

खाता संख्या पुराना :- 46

कुल किता : 18

भूमि प्रकार के
अनुसार क्षेत्रफल

गै. मु. आवासीय 2.1850 0.00

कुल किता : 44

भूमि प्रकार के
अनुसार क्षेत्रफल

गै. मु. आवासीय 5.6220 0.00

गै.मु.आवासीय 0.0090 0.00

कुल खसरे -44

5.6310

आवेदक की सूचना :-

आवेदक का नाम - a

पता - a

प्रतिलिपि सं. - 223938

आई.पी. - 10.70.244.252

दिनांक व समय - 17/Jul/2024 05:19:00 PM

नकल जारी करने का स्थान - गंगानगर

यू.एस.एन - 2855267821528022

[https://apnakhata.rajasthan.gov.in/qc.aspx?](https://apnakhata.rajasthan.gov.in/qc.aspx?usn=2855267821528022)

usn=2855267821528022

ई-हस्ताक्षर की सूचना :-

हस्ताक्षरकर्ता - NAND LAL

पद - तहसीलदार

हस्ताक्षर दिनांक व समय - 24/Jun/2024 02:46:00 PM



NIC